म.प्र. शासन श्रम विभाग

सामुदायिक मध्यस्थता कार्यक्रम हेतु
बालक और कुमार श्रम (प्रति. एवं विनि.) अधिनियम,1986 एवं बंधित श्रम पध्दति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत श्रम विभाग द्वारा संचालित गतिविधियों की जानकारी
ज़िला-इंदौर

बाल श्रम क्या है?

14 वर्ष से कम आयु के बच्चें को यदि किसी व्यवसाय या किसी प्रक्रिया में नियोजित या कार्यरत पाया जाता है ,तो वह बाल श्रम। किसी भी तरह के व्यवसाय या प्रक्रिया में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का कार्य अथवा नियोजन प्रतिबंधित है,और इसके लिए बालक और कुमार श्रम (प्रति. एवं विनि.) अधिनियम,1986 के अधीन दंड के प्रावधान है।

किशोर श्रमिक:- 14 वर्ष 18 वर्ष आयु समूह के किसी किशोर को अधिनियम में दिए गए खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं की अनुसूची के भाग क में उल्लिखित किसी व्यवसाय या प्रक्रिया में कार्य या नियोजन निषिद्ध है।

बालक और कुमार श्रम (प्रति. एवं विनि.) अधिनियम,1986

धारा	प्रावधान (अपराध)	दंड
14(1)	• किसी भी व्यवसाय या प्रक्रिया में बच्चे को काम करने के लिए नियुक्त करना या काम करने के लिए अनुमति देना तथा बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम,1986 की धारा 3 एवं नियमो का उल्लंघन करना	• 6 माह से 2 साल तक की सजा या 20,000/- से 50,000/- रूपये तक का जुर्माना अथवा दोनों • संज्ञेय अपराध
धारा 14 (1ए)	सूची में निर्धारित खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में किशोर को काम करने के लिए नियुक्त करना या काम करने के लिए अनुमति देना	• 6 माह से 2 साल तक की सजा या 20,000/- से 50,000/- रूपये तक का जुर्माना अथवा दोनों • संज्ञेय अपराध
धारा 14(1बी)	यदि बच्चें और किशोर के माता-पिता या अभिभावकों द्वारा यह अपराध पहली बार किया जाता है	• कोई नही

धारा 14(2)	ऊपर वर्णित वर्गों में दिया बया अपराध यदि बच्चें और किशोर दोनों के मामले में दोहराया जाता है	• कम से कम 1 वर्ष के लिए कारावास का दंड, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक बढाई जा सकती है
धारा 14(2 ए)	यदि माता-पिता या अभिभावकों द्वारा यह अपराध फिर से दोहराया जाता है	जुर्माना, जिसे अधिकतम 10,000/- रूपये तक बढाया जा सकता है
धारा 14(3)	इस अधिनियम के प्रावधानों और नियमों का पालन करने में असफल रहना, जिसमें किशोरों के रोजगार के संबंध में नियम का उल्लंघन शामिल है।	साधारण कारावास, जिसे 1 महीने तक बढाया जा सकता है या जुर्माना जिसे 10,000 रूपये तक बढाया जा सकता है, या दोनों

कलेक्टर इंदौर की अध्यक्षता में बाल श्रमिकों की मुक्ति एवं पुनर्वास संबंधी कार्य हेतु जिला स्तरीय टास्क फ़ोर्स का गठन

- अध्यक्ष जिला - कलेक्टर
- पुलिस अधीक्षक (गृह विभाग)
- सचिव सहायक श्रमायुक्त
- जिला शिक्षा अधिकारी
- संयुक्त संचालक, सामाजिक न्याय विभाग
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
- जिला बाल कल्याण समिति
- आयुक्त, नगर पालिक निगम
- जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी
- लीड बैंक अधिकारी
- नोडल अधिकारी बाल श्रम (श्रम निरीक्षक)
- थाना प्रभारी विशेष किशोर पुलिस इकाई
- जिला रोजगार अधिकारी
- प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
- चाइल्ड लाइन

कलेक्टर इंदौर की अध्यक्षता में बंधक श्रमिकों की मुक्ति एवं पुनर्वास संबंधी कार्य हेतु जिला स्तरीय सतर्कता समिति का गठन

- अध्यक्ष जिला - कलेक्टर
- सचिव सहायक श्रमायुक्त
- पुलिस आयुक्त इंदौर
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत इंदौर(ग्रामीण विकास विभाग का प्रतिनिधि)
- श्री बसंत पारगी निवासी पालदा, तहसील इंदौर
- श्रीमती सुनीता लोहानी, तहसील इंदौर
- श्री जयप्रकाश पिता पन्नालाल, तहसील हातोद
- श्री कैलाश पिता काशीनाथ, इंदौर
- श्री सुरेशचन्द्र चौधरी, तहसील सांवेर
- सहायक आयुक्त / जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग, इंदौर
- लीड बैंक मैनेजर, बैंक आफ इंडिया शाखा, इंदौर (अग्रणी बैंक)

2023.24

S.N.	DATE	Child name	Age	Gender	Father's Name	Address	Niyojak Name/Address	Back Wages given to the child (Amount)	Compensation Under Child Labour (MC mehta) amount	CASE NO./ FINE IMPOSED
1	01.06.23	मुस्कान जाधव	14वर्ष 30 दिन	बालिका	बबलू जाधव	टूटी बिल्डिंग लसूड़िया थाने के पास इंदौर	1ण्सुश्री लिजा कस्तुरी पिता श्री नितेश कस्तुरी 2 सुश्री जान्हवी कस्तुरी पिता श्री हरिश कस्तुरी 501 पुष्परतन बिल्डिंग डायमंड कॉलोनी जंजीर वाला चौराहा इंदौर आईओ वेन्चर प्राण्लिण् प्लॉट नंण् 275ध्3 केलोदहाला एसडीए .1 कंपाउंड इंदौर	1155 /–	आर.आर.सी जारी	एस.यू.एम /21973/2023/ दिनांक 12.07.2023
2		उन्नति खेरदे	13 वर्ष 4 माह 7 दिन	बालिका	प्रभुदयाल खेरदे	लसूडिया मोरी देवास नाका इंदौर		4620 /–	आर.आर.सी जारी	
3		श्री सरस खेरदे	10 वर्ष 6 माह 12 दिन	बालक	डां.पी.डी.खेरदे	303 ब्लाॅक लसूडिया मोरी इंदौर		5313 /–	आर.आर.सी जारी	
4		सुश्री खुशबु सुल्तान	12 वर्ष 10 माह 14 दिन	बालिका	श्री सुल्तान	बजरंग नगर काकड़ लसूडिया इंदौर		924 /–	आर.आर.सी जारी	
5		ज्वाला राठौर	14 वर्ष 8 माह 4 दिन	बालिका	सुल्तान राठौर	बजरंग नगर लसूडिया थाना इंदौर		924 /–	आर.आर.सी जारी	
6		श्री समीर चोहान	13 वर्ष 2 माह 25 दिन	बालक	महेश चोहान	राहुल गाॅधी नगर बजरंग नगर काकड़ इंदौर		1155 /–	आर.आर.सी जारी	
7		श्री अभिषक मंडलोई	13 वर्ष 9 माह 27 दिन	बालक	श्री अभिषेक मनोहर मंण्डलोई	बजरंग नगर काकड़ देवास नाका इंदौर		231 /–	आर.आर.सी जारी	
8		श्री गौतम विश्वकर्मा	14 वर्ष 10 माह 20 दिन	बालक	श्री शिवराज विश्वकर्मा	बजरंग नगर काकड़ इंदौर		462 /–	आर.आर.सी जारी	
9		सलू वास्कले	16 वर्ष 4 माह 25 दिन	बालिका	कमल वास्कले	बजरंग नगर लसूडिया थाने के पीछे इंदौर		462 /–	आर.आर.सी जारी	
10		सुश्री ज्योति राठौर	17 वर्ष 2 माह	बालिका	सुल्तान राठौर	बजरंग नगर		924 /–	आर.आर.सी जारी	

S.N.	DATE	Child name	Age	Gender	Father's Name	Address	Niyojak Name/Address	Back Wages given to the child (Amount)	Compensation Under Child Labour (MC mehta) amount	CASE NO./ FINE IMPOSED
11		श्री प्रविण मीणा	16 वर्ष	बालक	श्री जगदीश मीणा	ग्राम पारड़ा सोलंकी तह.आशपुर जिला डुगरपुर राजस्थान	श्री करण सिंह पिता दुर्तान सिंह राठौर - के.जे. राजपुताना केफे इन नसीहा रोड़ सरवटे बस स्टेण्ड के पास इंदौर	17813 /—	आर.आर.सी जारी	
12		श्री जयंती मीणा	16 वर्ष	बालिका	श्री लक्ष्मण मीणा	ग्राम हमिरपुरा पोस्ट सावला थाना निठवा तह.आशपुर जिला डुगरपुर राजस्थान	श्री विशाल पिता श्री नरेन्द्र सुखलीय - श्री लीला भोजनालय दुकान नं. 35 ग्ारउण्ड फ्लोर रेशमवाल कम्पाउण्ड सरवटे बस स्टेण्ड इंदौर	6080 /—	आर.आर.सी जारी	अनुवर्ती कार्यवाही निरंतरित
13		श्री दिलीप फुलसिंह	17 वर्ष	बालक	फुलसिंह	ग्राम- खुरई तह.बारा वटावदापार राजस्थान	श्री श्यामलाल पिता श्री दयाराम धाकड़ -श्री अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट शाॅप नं. 7 छोटी ग्वाल टोली सरवटे बस स्टेण्ड इंदौर	1554 /—	आर.आर.सी जारी	
14	08ए06ए23	श्री जिशान खान	13 वर्ष	बालक	अफरोज खान	निवासी - साउथ तोड़ा इंदौर	श्री शकील पिता करीम बेग - करीम भाई कमानी वाले छोटी ग्वाल टोली रेलवे टिकीट आरक्षण केंद्र इंदौर	513 /—	आर.आर.सी जारी	
15		कुमार अल्फेज	17 वर्ष	बालक	रज्जाक अब्बास	निवासी आजाद नगर इंदौर	श्री मुर्तजा पिता गुलाब हुसैन - सैफी रेडियेटर सर्विस 5 छौटी ग्वाल टोली इंदौर	7650 /—	आर.आर.सी जारी	
16		कुमार जिशान	15 वर्ष	बालक	लियाकत हुसैन	आजाद नगर इंदौर		19975 /—	आर.आर.सी जारी	
17		श्री भरत मीणा	16 वर्ष	बालक	लालजी मीणा	भिलुड मडीकला तह.सावला जिला डुगरपुर	श्री गणेश पिता गालजी उपाध्याय साॅई प्रसाद डायनिंग हाॅल	18000 /—	आर.आर.सी जारी	
18		श्री पुष्कर लोहारे	15 वर्ष	बालक	कान्हा लोहारे	ग्राम -धाड़ी तह.सावला जिला		12000 /—	आर.आर.सी जारी	

20	12.06.23	श्री रोहित कुमार	12 वर्ष	बालक	श्री चनादेवराम	गोला पमरिखा जिला-मोतिहारी,बिहार तथा इंदौर में मोती तबेला में निवासरत है।	श्री कृष्णा कुमार पिता श्री लक्ष्मीशाह ‘‘ श्री कृष्णा कुमार पिता श्री लक्ष्मी शाह ‘‘ 17/2 माती तबेला,इंदौर	51727 /—	आर.आर.सी जारी	प्रकरण दायर
21		श्री अमित कुमार	10 वर्ष	बालिका	श्री चनादेवराम	वार्ड- 05 ग्राम- ब्रहमपुरा ,पोस्ट - फुलताख आचल बजरीमा पुली चम्पारत मोतीहारी बिहार	श्री विनोद शाह पिता श्री रूदल शाह 13/2 मोती तबेला मज्जिद के पास इंदौर (बैग निर्माण)	5,325/—	आर.आर.सी जारी	
22		श्री कुंदन	14 वर्ष	बालक	रामकिशोर	ब्रहमपुरा ,पोस्ट - फुलताख आचल बजरीमा पुली चम्पारत मोतीहारी बिहार		5,325/—	आर.आर.सी जारी	
23		राहुल	17 वर्ष	बालक	बलीराम	ग्राम- ब्रहमपुरा ,पोस्ट - फुलताख आचल बजरीमा पुली चम्पारत मोतीहारी बिहार		5,325/—	आर.आर.सी जारी	प्रकरण दायर
24		श्री सलमान	16 वर्ष	बालक	लियाकत	अलमदिना मज्जिद चंदन नगर नाले के पार मकान नं.	श्री नज्जू 13/2 मोती तबेला इंदौर	46325 /—	आर.आर.सी जारी	एस.यू.एम / 8317/2023 दिनांक

S.N.	DATE	Child name	Age	Gender	Father's Name	Address	Niyojak Name/Address	Back Wages given to the child (Amount)	Compensation Under Child Labour (MC mehta) amount	CASE NO./ FINE IMPOSED
26	13.06.23	सुश्री आरती कुमारी	12 वर्ष 4 माह	बालिका	श्री भोटो तुरी	निवासी- कालिकाराम गोलालेन जगदीशपुर भागलपुर बिहार 812001	श्री राजन गुप्ता 155 शिवालिक कालिंदी मिडटाउन देवगुराडिया इंदौर	212550	रूपये 35000 की एफडी जमा करवाई गई	अनुवर्ती कार्यवाही निरंतरित
27	14.06.23	कुमार सुरभेल मेहता	16 वर्ष	बालक	नरसिंह मेहता	राम नांगलवाड़ी तह. जुलवानिया जिला - बड़वानी	बाबा फायर वर्क सर्वे नं. 748 /3/2/3 तिल्लौर खुर्द बिचैली हप्सी जिला इंदौर		आर.आर.सी जारी	अनुवर्ती कार्यवाही निरंतरित
28		कुमारी संजना	15 वर्ष	बालिका	उस्ताद	राम नांगलवाड़ी तह. जुलवानिया जिला - बड़वानी			आर.आर.सी जारी	08061/23

बंधक श्रमिक संबंधी जानकारी

क्र	वर्ष	चिन्हित बंधक श्रमिक का नाम	स्थान जहाँ बंधक श्रमिक चिन्हित किया गया	विमुक्ति प्रमाण-पत्र ज़ारी दिनांक	बंधुआ मज़दूर पुनर्वास योजना, 2016(रिवाइज़्ड 2021)अंतर्गत वित्तीय सहायता	रिमार्क
1	2019-20	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2	2020-21	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
3	2021-22	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
4	2022-23	मो. रियाज	मो. तमन्ना आलम, दुकान नं. 209,रब्बानी बाजार, सराफा बाजार, इंदौर	05-04-2023	Rs.30,000/-	1. नियोक्ता के खिलाफ F.I.R दर्ज की गयी | 2.बाल कल्याण समिति (C.W.C)द्वारा माता-पिता और बच्चे की काउंसलिंग के पश्चात् बच्चे को उसके निवास स्थान पंश्चिम बंगाल भेजा गया।
5	2023-24	आरती कुमारी	श्री राजन गुप्ता, 155 कालिंदी मिड टाउन, देवगुराडिया, इंदौर	25-07-2023	कार्यवाही प्रचलन में है।	1. नियोक्ता के खिलाफ F.I.R दर्ज की गयी| 2. बाल कल्याण समिति (C.W.C) द्वारा काउंसलिंग की गयी एवं परामर्श के पश्चात् वर्तमान में बालिका को जीवन ज्योति आश्रम, श्रमिक कॉलोनी, राऊ में रखा गया है।

बालक और कुमार श्रम (प्रति.एवं विनि.) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत समय-समय पर जनजागरूकता अभियान एवं प्रचार-प्रसार

04

बाल श्रम के विरोध में कार्यक्रम : नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को किया जागरूक

इंदौर | विश्व बाल श्रम विरोध दिवस के अवसर पर रविवार को जिला प्रशासन, श्रम विभाग, पुलिस विभाग के संयुक्त तत्वाधान में एचडी वायर सेक्टर ई सांवेर रोड पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उप श्रम आयुक्त एलपी पाठक, सहायक श्रम आयुक्त मेघना भट्ट, बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष पल्लवी पोरवाल, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जिला अधिकारी दिग्विजयसिंह, एचडी वायर प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर दिलीप देव, महिला एवं बाल विकास विभाग के भगवानदास साहू, बैंक अधिकारी धाकड़, चाइल्ड लाइन सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम में बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 संबंधित प्रावधानों की जानकारी दी गई। चाइल्ड लाइन के बालकों द्वारा बाल श्रम के संबंध में नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम के अंत में सभी सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण की गई कि वे बाल श्रम के संबंध में आम जनता को जागरूक करेंगे एवं व्यापारियों को हतोत्साहित करेंगे। साथ ही सभी से बाल श्रम उन्मूलन के लिए पोस्टर पर हस्ताक्षर करवाए गए। कार्यक्रम का संचालन श्रम निरीक्षक रवींद्र दुबे ने किया।

बच्चों से करा रहे थे पैकिंग, दस को मुक्त कराया

इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। देवास नाका लसूड़िया क्षेत्र में चाकलेट फैक्ट्री में बच्चों से कार्य कराया जा रहा था। बच्चों से बाक्स में चाकलेट पैक कराई जा रही थी। दस बच्चों को मुक्त कराकर बाल कल्याण समिति के निर्देश पर संस्था में भर्ती कराया गया है। सभी की काउंसिलिंग की जाएगी। माता-पिता के बयान भी लिए जाएंगे।

संस्था आस इंदौर चाइल्ड लाइन और लसूड़िया थाने की संयुक्त टीम ने बजरंग नगर कांकड़ में संचालित की जा रही आइओ वेंचर्स चाकलेट फैक्ट्री पर दबिश दी। यहां बच्चों से बालश्रम कराया जा रहा था। संस्था आस के जितेंद्र परमार और राहुल गोठाने ने बताया कि चाकलेट फैक्ट्री से छह बालिकाओं और चार बालकों को मुक्त कराया गया। कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री मालिक हरीश कस्तूरी नहीं मिले। बाल कल्याण समित अध्यक्ष पल्लवी पोरवाल के आदेश पर बच्चों का मेडिकल परीक्षण करवाने के बाद संस्था में भर्ती कराया गया है।

इस मौके पर चाइल्ड लाइन के डायरेक्टर वसीम इकबाल, महिला एवं बाल विकास विभाग से आशीष वर्मा, श्रम विभाग के रविंदर ठाकुर, विशेष किशोर पुलिस इकाई से कुसुम बास्कले मौजूद थे।

देवास नाका क्षेत्र में चाकलेट फैक्ट्री में बालश्रम से मुक्त कराए गए बच्चे। • नईदुनिया

सिटाडेल में विक्की और किया फिल्म प्रमोशन

निगम परिसर में अवैध शेड डालने पहुंचे

मध्य प्रदेश बनेगा रेडबस का महाप्र

बालक और कुमार श्रम (प्रति.एवं विनि.) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत समय-समय पर जनजागरूकता अभियान एवं प्रचार-प्रसार

13 JUN 2023

Five child labourers rescued from bag factory

13 JUN 2023

पांच संस्थानों से आठ किशोर और बाल श्रमिकों को कराया मुक्त

बालक और कुमार श्रम (प्रति.एवं विनि.) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत समय-समय पर जनजागरूकता अभियान एवं प्रचार-प्रसार

बालक और कुमार श्रम (प्रति.एवं विनि.) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत समय-समय पर जनजागरूकता अभियान एवं प्रचार-प्रसार

बाल श्रम के विरोध में कार्यक्रम : नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को किया जागरूक

इंदौर | विश्व बाल श्रम विरोध दिवस के अवसर पर रविवार को जिला प्रशासन, श्रम विभाग, पुलिस विभाग के संयुक्त तत्वाधान में एचडी वायर सेक्टर ई सांवेर रोड पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उप श्रम आयुक्त एलपी पाठक, सहायक श्रम आयुक्त मेघना भट्ट, बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष पल्लवी पोरवाल, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जिला अधिकारी दिग्विजयसिंह, एचडी वायर प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर दिलीप देव, महिला एवं बाल विकास विभाग के भगवानदास साहू, बैंक अधिकारी धाकड़, चाइल्ड लाइन सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम में बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 संबंधित प्रावधानों की जानकारी दी गई। चाइल्ड लाइन के बालकों द्वारा बाल श्रम के संबंध में नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम के अंत में सभी सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण की गई कि वे बाल श्रम के संबंध में आम जनता को जागरूक करेंगे एवं व्यापारियों को हतोत्साहित करेंगे। साथ ही सभी से बाल श्रम उन्मूलन के लिए पोस्टर पर हस्ताक्षर करवाए गए। कार्यक्रम का संचालन श्रम निरीक्षक रवींद्र दुबे ने किया।

Signature campaign against child labour

OUR STAFF REPORTER
city.indore@fpj.co.in

A signature campaign was organised by Indore Child Line, Children's Welfare Committee, Women and Child Development Department, and Aas Foundation to spread awareness about World Child Labour Prohibition Day on Sunday.

All the officers and members present at the programme were informed about the Child Labour Act by assistant commissioner Meghna Bhatt from the department of labour. Street plays were presented by children of the Aas Foundation to create awareness about making Indore a child labour-free city. A slogan and painting exhibition was held by the children for the prevention of child labour.

About 160 members and children were involved in the programme. Oath was taken by all the officers and children present in the programme for the prevention of child labour. To make Indore a child labour-free city, a series of awareness progra[illegible] will be held from Ju[illegible] June 20.

विश्व बाल श्रम विरोध दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम

इंदौर ■ राज न्यूज नेटवर्क

विश्व बाल श्रम विरोध दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन, श्रम विभाग, पुलिस विभाग इंदौर के संयुक्त तत्वाधान में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में चाइल्ड लाइन के बच्चों द्वारा बाल श्रम पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। साथ ही बाल श्रम उन्मूलन के लिए पोस्टर पर हस्ताक्षर करवाए गए। आयोजन में अतिथियों द्वारा बाल श्रम विरोध के नियमों और कार्यवाही की जानकारी भी प्रदान की गई। विश्व बाल श्रम विरोध दिवस पर इंदौर में आयोजित कार्यक्रम का आयोजन औद्योगिक क्षेत्र सांवेर रोड सेक्टर ई के एचडी वायर में आयोजित किया गया। सहायक श्रमायुक्त मेघना भट्ट ने बताया कि हर साल 12 जून को दुनिया भर के लगभग 100 देशों में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2022 का थीम है, यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर मतलब बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण। इस दिन, आईएलओ अपने घटकों और भागीदारों के साथ, सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों और योजनाओं में निवेश बढ़ाने का आह्वान कर रहा है। ताकि ठोस सामाजिक सुरक्षा की जमीन तैयार की जा सकें और बच्चों को बाल श्रम से बचाया जा सके। उन्होंने बताया कि यूएन की बॉडी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की स्थापना की थी। ये 5 से 17 वर्ष की आयु के कई बच्चों को उचित शिक्षा, उपयुक्त चिकित्सा सेवाएं, खाली समय, या केवल मौलिक स्वतंत्रता प्रदान करके एक सामान्य बचपन की गारंटी देता है। बाल श्रम के अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर जागरूकता लाने और इसे समाप्त करने के लिए समाधान विकसित करने के लिए 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में नामित किया गया है।

प्रावधानों की जानकारी दी

कार्यक्रम में उप श्रमायुक्त एलपी पाठक अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष पल्लवी पोरवाल, जिला अधिकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दिग्विजय सिंह, डायरेक्टर एच डी वायर दिलीप देव, महिला एवं बाल विकास विभाग के भगवानदास साहू, बैंक अधिकारी धाकड़ सहितचाइल्ड लाइन सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम में बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 संबंधित प्रावधानों की जानकारी दी गई। चाइल्ड लाइन के बालकों द्वारा बाल श्रम के सम्बन्ध में नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम के अंत में सभी सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण की गई कि वह बाल श्रम के संबंध में आम जनता को जागरूक करेंगे एवं व्यापारियों को हतोत्साहित करेंगे। साथ ही सभी से बाल श्रम उन्मूलन के लिए पोस्टर पर हस्ताक्षर करवाए गए। कार्यक्रम का संचालन श्रम निरीक्षक रविंद्र दुबे द्वारा किया गया। अंत में श्रीमती मेघना भट्ट द्वारा आभार प्रकट किया गया।

बालक और कुमार श्रम (प्रति.एवं विनि.) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत समय-समय पर जनजागरूकता अभियान एवं प्रचार-प्रसार

बालक और कुमार श्रम (प्रति.एवं विनि.) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत समय-समय पर जनजागरूकता अभियान एवं प्रचार-प्रसार

बालक और कुमार श्रम (प्रति.एवं विनि.) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत समय-समय पर जनजागरूकता अभियान एवं प्रचार-प्रसार

1. बाल श्रम के विरुद्ध जन जागरण हेतु गीत “पढने दो लिखने दो और खेल भी है जरुरी बच्चो से बचपन मत छीनो ना करने दो मजदूरी” का प्रसारण श्रम विभाग द्वारा आकाशवाणी पर किया गया है।

2. समय समय पर होटलों, रेस्टोरेंट्स, ऑटो गेराज, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनो पर जन जागरूकता अभियान चलाकर नियोजको को बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों से अवगत कराया जा रहा है।

3. प्रमुख औद्योगिक संस्थानों में बाल श्रम निषेध सप्ताह का आयोजन कर श्रमिकों और नियोजको को बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों से अवगत कराया जा रहा है।

बालक एवं बंधक श्रम प्रथा उन्मूलन के
लिए जागरुकता अभियान
कार्यालय सहायक श्रमायुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर

13 वर्षीय बालक मोहम्मद रियाज को बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना 2016 (रिवाईज्ड 2021) के अंतर्गत कार्यालय सहायक श्रमायुक्त इंदौर द्वारा तात्कालिक सहायता राशि 30,000/- रु फिक्स्ड डिपाजिट (सावधि जमा) के रूप में दिनांक 25.07.23 को प्रदाय की गयी I

बालक और कुमार श्रम (प्रति. एवं विनि.) अधिनियम, 1986 एवं बंधित श्रम पध्दति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत इंदौर एवं उज्जैन संभाग के स्टेट होल्डर्स की **प्रशिक्षण** की **कार्यशाला**

दिनांक 08.12.2023

नईदुनिया इंदौर

9 DEC 2023

अधिकारियों को दी नए संशोधनों की जानकारी

इंदौर। श्रम विभाग द्वारा इंदौर-उज्जैन संभाग के विभागीय अधिकारी एवं संबंधित स्टैक होल्डर्स के लिए 'बाल मजदूरी व बंधुआ मंजदूरी' विषय पर कार्यशाला जाल सभागृह में हुई। भोपाल की नेशनल ला यूनिवर्सिटी के डा. महेंद्र सोनी द्वारा बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 एवं बंधक श्रम अधिनियम 1976 के प्रावधानों व नवीनतम संशोधनों से अवगत करवाया गया। कार्यशाला में इंदौर व उज्जैन संभाग के श्रम विभाग के कार्यपालिक अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, विशेष किशोर पुलिस इकाई के अधिकारी उपस्थित थे। संचालन अविनाश रंगारे व सुभी खंडेलवाल ने किया।

राज एक्सप्रेस, इन्दौर

9 DEC 2023

अधिकारियों को दी नए संशोधनों की जानकारी

कार्यशाला का आयोजन

इंदौर ■ राज न्यूज नेटवर्क

श्रम विभाग द्वारा इंदौर एवं उज्जैन संभाग के विभागीय अधिकारी एवं संबंधित स्टैक होल्डर्स के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप फॉर एड्रेसिंग चाइल्ड लेबर एंड बॉन्डेड लेबर का आयोजन जालसभा गृह साउथ तुकोगंज इंदौर में किया गया।

कार्यशाला में उप श्रमायुक्त एलपी पाठक, सहायक श्रमायुक्त आशीष पालीवाल, सहायक श्रमायुक्त बीपी सिंह अध्यक्ष बाल कल्याण समिति इंदौर पल्लवी पोरवाल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बीएस सैल्या विशेष रूप से मौजूद थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में सहायक श्रमायुक्त इंदौर मेघना भट्ट द्वारा स्वागत किया गया। कार्यशाला में डॉ. महेंद्र सोनी असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल द्वारा बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 एवं बंधक श्रम अधिनियम 1976 के प्रावधानों व नवीनतम संशोधनों से अवगत करवाया गया।

कार्यशाला में इंदौर व उज्जैन संभाग के श्रम विभाग के कार्यपालिक अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, विशेष किशोर पुलिस इकाई के अधिकारी उपस्थित थे। वर्कशॉप का संचालन अविनाश रंगारे एवं सुभी खंडेलवाल द्वारा किया गया। वर्कशॉप के अंत में बीपी सिंह सहायक श्रमायुक्त उज्जैन द्वारा आभार व्यक्त किया गया।

दस्तक

9 DEC 2023

अधिकारियों को दी नये संशोधनों की जानकारी

इंदौर (दस्तक)। श्रम विभाग द्वारा इंदौर एवं उज्जैन संभाग के विभागीय अधिकारी एवं संबंधित स्टैक होल्डर्स के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप फॉर एड्रेसिंग चाइल्ड लेबर एंड बॉन्डेड लेबर का आयोजन जालसभा गृह साउथ तुकोगंज इंदौर में किया गया।

कार्यशाला में उप श्रमायुक्त श्री एल. पी. पाठक, सहायक श्रमायुक्त श्री आशीष पालीवाल, सहायक श्रमायुक्त बी.पी. सिंह अध्यक्ष बाल कल्याण समिति इंदौर श्रीमती पल्लवी पोरवाल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी.एस.सैल्य। विशेष रूप से मौजूद थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में श्रीमती मेघना भट्ट सहायक श्रमायुक्त इंदौर द्वारा स्वागत किया गया। कार्यशाला में डॉ. महेंद्र सोनी असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल द्वारा बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 एवं बंधक श्रम अधिनियम 1976 के प्रावधानों व नवीनतम संशोधनों से अवगत करवाया गया। कार्यशाला में इंदौर व उज्जैन संभाग के श्रम विभाग के कार्यपालिक अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, विशेष किशोर पुलिस इकाई के अधिकारी उपस्थित थे। वर्कशॉप का संचालन अविनाश रंगारे एवं सुभी खंडेलवाल द्वारा किया गया। वर्कशॉप के अंत में श्री बी.पी. सिंह सहायक श्रमायुक्त उज्जैन द्वारा आभार व्यक्त किया गया।

धन्यवाद